औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल मजदूर विरोधी: विपक्ष

भाजपा ने श्रमिक हितैषी कहा

नई दिल्ली, (भाषा)। औद्योगिक श्रेत्र के तीन कानूनों की जगह लेने वाली औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सरकार द्वारा पेश संशोधन पर लोकसभा में चर्चा करते हुए विपक्ष ने इसे उद्योगों के हित वाला तथा श्रमिक क्षेत्र के लिए असुरक्षा पैदा करने वाला कदम बताया, वहीं भाजपा ने कहा कि इसका मकसद श्रमिक सुधारों को लागू करते हुए सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस संहिता के आने से मुख्य कानून के प्रभाव ही समाप्त हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल उद्योगों के हित साध रही है, वहीं श्रमिकों के साथ मजाक किया जा रहा है।लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। प्रस्तावित कानून के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के अनुसार, औद्योगिक सबंध संहिता, 2020 जिन कानूनों की जगह लेगा, उनमें ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शामिल हैं, जो श्रमिक संघों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह संशोधन एक छोटे से स्पष्टीकरण के

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा में बोलते हुए। (एएनआई)

लिए लाया गया है। नई संहिता लागू होने पर पुराने तीनों कानूनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन इस संबंध में कानून में भी स्पष्टीकरण आ जाए, इसलिए यह संशोधन लेकर आए हैं। उन्होंने कल इसे सदन में पेश किया था। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कहा कि यह विधेयक सुधार वाला नहीं, बल्कि पीछे लौटाने वाला है और इसका उद्देश्य क्रमबद्ध तरीके से पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय के श्रमिक सुरक्षा सुधारों को समाप्त करना है।उन्होंने बृहस्पतिवार को देश के कुछ हिस्सों में श्रमिक संगठनों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र के लोग, बैंक, बीमा क्षेत्र के कर्मी शामिल हैं और यह सरकार के लिए चेतावनी है। सुरेश ने कहा, लेकिन सरकार संवाद के बजाय अपने प्रभुत्व में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कमजोर हो रहे हैं और उनका निजीकरण हो रहा है।सुरेश ने औद्योगिक संबंध संहिता को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए।उन्होंने कहा, असुरक्षित श्रमिकों के साथ विकसित भारत नहीं बना सकते। इस विधेयक पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसे वापस लेना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना (उबाठा) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि वह जब नरेन्द्र मोदी सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि इस संहिता को लाना सही नहीं होगा और तब इसे नहीं लाया गया था, लेकिन बाद में पारित कर दिया गया है।

तीन संसदीय समितियों के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी

नई दिल्ली, (भाषा)। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को तीन प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। ये सदस्य एक मई, 2026 से, एक वर्ष के लिए नियुक्त होंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने सभापति सी पी राधाकृष्णन की अनुमति से तीन अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए, जिन्हें सदन ने मंजूरी दे दी। पहला प्रस्ताव लोक लेखा समिति से संबंधित है। सदन ने एक मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक के लिए इस समिति में सात राज्यसभा सदस्यों को नामांकित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सदस्यों का चुनाव सभापति के निर्देशन में किया जाएगा।इसी तरह, लोकसभा की सिफारिश के अनुसार, राज्यसभा के सात सदस्यों को सार्वजनिक उपक्रम समिति में नामांकित करने के प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरी दी।

एआई आधारित डीप फेक व फर्जी वीडियो के रास में रोक की मांग उठी

वीर अर्जुन समाचार ब्यूरो

नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित डीप फेक और फर्जी वीडियो के अनियंत्रित प्रसार पर चिंता जताते हुए राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि इसकी रफ्तार पर लगाम कसने के लिए अत्यंत कड़े कदम उठाने होंगे अन्यथा लोकतंत्र की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए शुक्ला ने कहा कि आज एक आम व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर किसी की भी आवाज और उसके हावभाव की नकल कर सकता है। उन्होंने कहा इस तरह बनाए गए वीडियो इतने वास्तविक लगते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और समाज की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। शुक्ला ने कहा मेरे साथ भी यह हो चुका है। कल पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने विश्व कप क्रिकेट को लेकर मेरे एक बयान में दो गलत लाइनें अपनी ओर से जोड़ दीं। मुझे इसका खंडन करना पड़ा। उन्होंने कहा पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि चुनाव में राजनीतिक नेताओं के डीप फेक से बनाए गए वीडियो, उनके बयान जारी किए गए। महिलाओं के डीप फेक के जरिये अश्लील वीडियो बनाए गए। यह सब और कुछ नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि डीप फेक से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हैं और पकड़ में देर से आते हैं। उन्होंने कहा कि बाद में खंडन करने से नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती है। शुक्ला ने कहा हमारे यहां कोई ऐसी नोडल व्यवस्था नहीं है जो इसे तत्काल पकड़ सके। कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होती। आम आदमी तो बुरी तरह परेशान हो जाता है। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि डीप फेक की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय एआई निर्मित विषय सामग्री निगरानी एजेंसी बनाई जाए, प्लेटफार्म के लिए अनिवार्य वाटर मार्किंग और डिस्क्लोजर नियम बनें, महिलाओं के लिए सख्त और अलग श्रेणी का कानून बने तथा युवाओं के बचाव के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाए।शून्यकाल में ही भाजपा की दर्शना सिंह ने चीता परियोजना के उत्तर प्रदेश में विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन मध्यप्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए और अब उनकी संख्या भी बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का वन्य जीव संरक्षण का इतिहास पुराना और सफल रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में चीते के संरक्षण की संभावना उज्ज्वल है।

गिग कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 12 कंपनियों से समझौते किए गए : केंद्र

नई दिल्ली, (वीअ)। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करने वाले लोगों और गिग कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उसने 12 कंपनियों से समझौते किए हैं ताकि उन्हें ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जा सके।श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/512/2025
Shudhakar Kumar Tiwari
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18-03-2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18-03-2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/511/2025
Pratyush Kumar Bishi
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18-03-2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18-03-2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/498/2025
Yamnam Sanjoy Singh
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18-03-2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18-03-2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/497/2025
Arun Kumar Yadav
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18-03-2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18-03-2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/490/2025
Jaideep Madwariya
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18.03.2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18.03.2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/489/2025
V Aruna Dass Sebastian
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18.03.2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18.03.2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/488/2025
Sayed Tanbir Azmi Rahman
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18.03.2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18.03.2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

Publication Notice
(U/0 5, Rule 20 CPC)
In The Court of
Ms. Ritu Singh, Presiding Officer Labour Court-04, Court Room No. 306, Third Floor, Rouse Avenue Court, New Delhi.
Petition U/S 10(1)(C) & 12(5) of The Industrial Dispute Act, 1947
LIR/349/2025
Shiv Prasad
Vs
M/S Pramanit Karya India Pvt. Ltd.
NDOH: 18.03.2026
Notice To:
Pramanit Karya India Private Limited C-60, Bhagwati Garden Extension Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden. West Delhi, New Delhi-110059.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and should appear personally or through their counsel on **18.03.2026 at 10:00 am**
Take notice that default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in their absence according to law.
Given Under my hand and seal of the court, this **04.02.2026.**
Seal Sd/-
Presiding Officer Labour Court-04 Rouse Avenue Court Complex, New Delhi.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **वसीम पुत्र हनीफ अहमद पताः मकान नं. 462, गली नं 5, सुन्दर नगरी मंडोली सबोली दिल्ली–110093 ने एफआईआर संख्या 463/2015 धारा 498–ए/406/34 भा.द.स. के तहत** थानाः नंद नगरी दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **वसीम** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **वसीम** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **एफआईआर संख्या 463/2015 धारा 498–ए/406/34 भा.द.स. के तहत थाना नंद नगरी, दिल्ली के उक्त वसीम** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **20.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार
निधि बाला
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिला कोर्ट–03,
कमरा नं.08, द्वितीय तल, शाहदरा जिला
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
DP/1753/NE/2026

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 CrPC देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मनीष पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी ए 1038, सरस्वती गली, मंडावली, दिल्ली** ने **FIR No. 87/2023 U/S 25/54/59 Arms Act, अन्तर्गत थाना मंडावली, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मनीष** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मनीष** फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये खुद को छिपा रहा है)।
अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **FIR No. 87/2023 U/S 25/54/59 Arms Act, अन्तर्गत थाना मंडावली, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **मनीष** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **17.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार,
श्री सचिन
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–03
पूर्व जिला, कोर्ट नंबर 16
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
DP/1529/ED/2026(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 CrPC/84 BNSS देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **राजेश उर्फ छोटू पुत्र श्री किशन निवासी आश्रय गृह, साईं बाबा मंदिर के पास, लोधी रोड, नई दिल्ली** ने **FIR No. 111/2009 U/S 380/411 IPC, अन्तर्गत थाना सरोजिनी नगर, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राजेश उर्फ छोटू** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राजेश उर्फ छोटू** फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये खुद को छिपा रहा है)।
अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **FIR No. 111/2009 U/S 380/411 IPC, अन्तर्गत थाना सरोजिनी नगर, नई दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **राजेश उर्फ छोटू** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **16.04.2026** को इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार,
सुश्री विजयश्री राठौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–05
न्यायालय नंबर 13, प्रथम तल, मुख्य भवन
पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली
DP/1942/SW/2026(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 Cr.P.C. देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **कुलदीप उर्फ लुंगड़ पुत्रः** श्री राम नगीना **पताः** झुग्गी नंबर 101/27, सीडी पार्क, जहांगीर पुरी, दिल्ली ने **FIR No. 223/19 U/s 307/34 IPC & 25/27 ARMS Act थानाः जहांगीर पुरी, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **कुलदीप उर्फ लुंगड़** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **कुलदीप उर्फ लुंगड़** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 223/19 U/s 307/34 IPC & 25/27 ARMS Act थानाः जहांगीर पुरी, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **कुलदीप उर्फ लुंगड़** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **16.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार
सुश्री वंदना
एएसजे–02, कमरा नंबर 202
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रोहिणी कोर्ट, दिल्ली
DP/1948/NW/2026 (Court Matter)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित के तहत ऋणों की वसूली की सूचना।
के मामले में ओए नं. 338/2024 दिनांकः 19.12.2025
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड... आवेदक बनाम सन्नी सिन्हा एवं अन्य... प्रतिवादी
सेवा में, प्रतिवादी, ट्रेस्को होम्स प्राइवेट लिमिटेड, बी1/एच3, मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, ब्लॉक–बी, नई दिल्ली–44
जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध **रु. 48,02,382/– (रुपये अड़तालीस लाख दो हजार तीन सौ बयासी मात्र)** की वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे** ट्रिब्यूनल में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।
सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए :– (i) सभी अधिवक्ता/वादी **"सिस्को वीबेक्स"** एप्लीकेशन/ सोफ्टवेअर डाउनलोड करेंगे। **(ii)** अगली तारीख की सुनवाई के लिए **मीटिंग आईडी** और **पासवर्ड** माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा लिया जाएगा जोकि अगली तारीख से पहले एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल यानी **drt.gov.in** पर शीर्षक सार्वजनिक सूचना के तहत उपलब्ध होगा। **(iii)** किसी भी प्रकार की अन्य अनिवार्य सूचना के लिए, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से **फोन नं. 23748478** पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **19 दिसम्बर, 2025** को दिया गया।
ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा, अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–II, दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
OA No. 214/2025
पंजाब नेशनल बैंक ... आवेदक
विरुद्ध
तिरुपति स्टील ट्यूब्स गुप्ता ...प्रतिवादी
सेवा में,
1. **श्री विपिन गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम गुप्ता,** प्रोपराइटर मेसर्स त्रिपाठी स्टील ट्यूब्स, निवासी मकान नंबर 8/11, सरस्वती कुंज, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054, **अन्य पताः** जी–1114, DSIIDC नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110040 **अन्य पताः** सी–579, DSIIDC नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110040 **अन्य पताः** सी–1656, DSIIDC नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110040
अन्य पताः जे–3243, DSIIDC नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110040
अन्य पताः एच–1317, ग्राउंड फ्लोर, DSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला, दिल्ली–110040

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध **रु. 1,05,53,637/– (रुपये एक करोड़ पाँच लाख तिरपन हजार छः सौ सैंतीस मात्र)** की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **08–06–2026** को पूर्वा. 10.30 बजे **एलबी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है **(अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट www.tribunal.gov.in देखें फोन नंबर 011–23748473)। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।**
(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या सिस्को वेबेक्स वीसी लिंक के माध्यम से) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं। (ii) वीसी के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; (iii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I/और वसूली अधिकारी–// द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तिथि के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड, सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर अगली तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे। (iv) किसी भी आपात स्थिति में, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर से दिनांक **29 जनवरी, 2026** को दिया गया।
इस न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा

यूनिटेक लिमिटेड **unitech**
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालयः 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
टेली: 011-26857338
ई–मेल: share.dept@unitechgroup.com | **वेब:** www.unitechgroup.com
31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का विवरण
कंपनी के निदेशक मण्डल ने 12 फरवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में, 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का अनुमोदन कर दिया है।
निवेशक वित्तीय परिणाम और साथ में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com से प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिणाम यहां पर उपलब्ध कराए गए क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर) स्कैन करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें
टिप्पणीः उपर्युक्त सूचना सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुरूप प्रदान की गई है।
कृते यूनिटेक लिमिटेड
हस्ता/-
स्थानः गुरूग्राम
युद्धवीर सिंह मलिक
दिनांकः 12 फरवरी, 2026
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN: L34300HR1983PLC023187
Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram - 122 001, Haryana
Email: cs@ricoauto.in, **Website:** www.ricoauto.in
Tel: 0124 2824117, **Fax:** 0124 2824200
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Shares
Pursuant to the SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated 30th January, 2026 titled "Ease of Doing Investment – Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities", all shareholders are hereby informed that a Special Window is open for a period of one year, from 5th February, 2026 to 4th February, 2027 to facilitate transfer and dematerialisation of physical securities which were sold/purchased prior to 1st April, 2019 but such transfer requests which were submitted earlier were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/ process/or otherwise. Kindly note that the securities so transferred shall be mandatorily credited only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.
Further, securities transferred to IEPF Authority and cases involving disputes between transferor and transferee will not be considered in this window.
Eligible Shareholders are requested to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents for transfer and dematerialisation to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited at the address mentioned below:
MCS Share Transfer Agent Limited
Unit: Rico Auto Industries Limited
179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi – 110 020.
Members are encouraged to dematerialise their physical equity shares to enable the Company to serve them better.
for **Rico Auto Industries Limited**
Sd/-
Ruchika Gupta
Company Secretary, FCS : 6456
Dated: 12th February, 2026
Place: Gurugram

PUBLIC NOTICE
It may be known to everybody that our client Mr. Sunil Kumar S/o Late Sh. Chaman Lal R/o A-8, New Krishna Nagar, Delhi-110051, is the registered owner and in possession of his owned built up property No. A-8, New Krishna Nagar, Delhi-110051, measuring area 100 sq. yards, by vir